

17/2/2023

CE (P)/Haldwani

17.2.2023
प्रमुख अभियन्ता
लो.नि.वि.MD
20/02/23

ई फाईल संख्या-47049

प्रेषक,

विनीत कुमार,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

479

SSO-III (P)

मुख्य अभियन्ता (नियोजन)
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 16 फरवरी, 2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-भीमताल में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतुओं के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग सेतुओं का निर्माण (RFQ एवं TOR के अनुसार) (प्रथम चरण) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., हल्द्वानी द्वारा विषयगत संलग्न कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये आगणनों (प्रथम चरण), जिनकी कुल लागत ₹ 42.80 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹36.27 लाख (₹ छत्तीस लाख सत्ताईस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रति कार्य व्यय हेतु ₹0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात कुल 07 कार्यों हेतु ₹0.70 लाख (₹ सत्तर हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या-1764/III(2)/10-17(सामान्य) /2008, दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के सापेक्ष जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- कार्य पर उतना ही व्यय हो जितना की स्वीकृत नार्म है] स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि से बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका में सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन.पी.वी. भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथाशक्य व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी धनराशि से किया जायेगा।
- स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का

जी.आ.एस.
21.02.23

- होगा।
- x. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय **31.03.2023** तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xi. यदि स्वीकृत किया जा रहा कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- xii. उक्त कार्य हेतु लो०नि०वि० उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-383/III(1)/19-190 (PWD) 01टीसी-11 दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337सड़क निर्माण कार्य-03राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53वृहत निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित)के नामें डाला जायेगा।

3- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित संख्या-I/99340/2023 , दिनांक 14 फरवरी, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

Signed by Vineet Kumar
(विनीत कुमार)
Date: 15-02-2023 17:22:02
अपर सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव- प्रमुख सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, नैनीताल।
6. मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. हल्द्वानी।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
10. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि., नैनीताल।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि., नैनीताल।
12. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या- दिनांक: फरवरी, 2023 का संलग्नक

:-

क्र०सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी०में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत (₹ ₹लाख में)	चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंतगत अवमुक्त की जा रही धनराशि (₹ लाख में)
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानमभा	9 मी०	2.79	0.10

	क्षेत्र-भीमताल में काठगोदाम हैडाखान सिमलिया बैण्ड साननी बैण्ड मोटर मार्ग (एस0एच0-103) के कि0मी0 37 चै0 36.200 में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डबल लेन) मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	स्पान		
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-भीमताल में खुटानी-भवाली-धानाचूली-पतलोटर-रीठासाहिब मंच तामली (एस0एच0-64) के कि0मी0 01 में खुटानी गधेरे में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डबल लेन) मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	15 मी० स्पान	4.65	0.10
3.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-भीमताल में खुटानी-भवाली-धानाचूली-पतलोटर-रीठासाहिब मंच तामली (एस0एच0-64) के कि0मी0 03 (चैनेज 2.600-2.800) गोलूधार गधेरे में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डबल लेन) मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	18 मी० स्पान	5.58	0.10
4.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-भीमताल में रानीबाग-भीमताल-पदमपुरी-लोहाघाट (एस0एच0-10) के कि0मी0 18 (है0मी0 4-6) भीमताल झील नाले में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डबल लेन) मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	22 मी० स्पान	6.82	0.10
5.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-भीमताल में खुटानी-भवाली-धानाचूली-पतलोटर-रीठासाहिब मंच तामली (एस0एच0-64) के कि0मी0 06 (है0मी0 6-8) भवाली गधेरे में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डबल लेन) मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	10 मी०+ 10 मी० स्पान	6.20	0.10
6.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-भीमताल के विकासखण्ड ओखलकाण्डा में खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओलखकाण्डा-खनस्यूं-पतलोटर-मीडार तामली (एस0एच0-64) के कि0मी0 93 में काफली गधेरे में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डबल लेन) मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	18 मी० स्पान	5.58	0.10
7.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-भीमताल के विकासखण्ड ओखलकाण्डा में खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओलखकाण्डा-खनस्यूं-पतलोटर-मीडार तामली (एस0एच0-64) के कि0मी0 94 में अतरबन गधेरे में पूर्व निर्मित क्लास 'बी' लोडिंग सेतु के स्थान पर क्लास 'ए' लोडिंग (डबल लेन) मोटर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)	15 मी० स्पान	4.65	0.10
	योग-	(08 नं० सेतु)	36.27	0.70

I/99725/2023

Signed by Shyam Singh
Date: 15-02-2023 17:43:02

(रैंसत्तर हजार मात्र)

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव।

Total Current Allowance To HOD In Above Particulars Rs. 70,000 (Rupees Seventy Thousand Only)

APPROVED BY OFFICER

20

1



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2022 - 2023)
Secretary-Secretary, PWD(S038)
 HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/99725/2023
 अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S23020220025
 आवंटन पत्र दिनांक-16-FEB-2023

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत
 परिव्यय
 337-सड़क निर्माण कार्य
 02-नया निर्माण कार्य (5054-04-
 800-03-02से स्थानान्तरित)

04-जिला तथा अन्य सड़के
 03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		2540000	70000	0	2610000							
योग		2540000	70000	0	2610000							

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.70,000 (Rupees Seventy Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
 "नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक- 199 /20 याता'क'/2023

दिनांक-22.02.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, हल्द्वानी।
2. अधीक्षण अभियन्ता द्वितीय वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
 कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड